रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274486
CG-DL-E-14072026-274486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3701] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 3701] NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

## पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

**का.आ. 3863(अ).—** केंद्रीय सरकार,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (यथासंशोधित) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (एसएईआईए) संबंधी स्थायी प्राधिकरण का गठन करती है।

2. एसएईआईए में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(i) मुख्य सचिव या प्रशासक या उपराज्यपाल के सलाहकार - अध्यक्ष

(ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) - सदस्य

(iii) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का वह अधिकारी जो पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव या उप सचिव के रूप में कार्यरत है- सदस्य सचिव

3. केंद्रीय सरकार एस.ए.ई.आई.ए. की सहायता के लिए पर्यावरण समाघात अंकन संबंधी (स्थायी समिति) (एस. सी.ई.आई.ए.) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(i) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक सचिव- अध्यक्ष

(ii) मुख्य वन्यजीव वार्डन - सदस्य

(iii) राज्य के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या निदेशक- सदस्य

(iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव- सदस्य

(v) अधिकार-क्षेत्र विशेषज्ञ: राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक या प्रधान या अपेक्षानुसार उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अनुपस्थिति में, अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञ जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट हो।

(vi) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का वह अधिकारी जो पर्यावरण विभाग में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव या उप सचिव के रूप में कार्यरत है- सदस्य सचिव

4. एससीईआईए के अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले में एससीईआईए की सहायता के लिए ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों या संस्थाओं को सहयोजित कर सकेंगें।

5. एसएईआईए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना 2006 में प्रवर्ग 'ख' की परियोजनाओं के लिए यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रक्रियाओं का पालन करेगा। जब भी राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) कार्यरत न हो, या जहां एसईआईएए का गठन नहीं किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी अन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन करना हो, तो एसएईआईए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) के कार्यों का निर्वहन करेगा, जो छह मास तक के अन्य विस्तारण के अध्याधीन रहते हुए पहली बार में छह मास से अधिक नहीं होगा।

**टिप्पण:** स्पष्टता के लिए, गैर-कार्यकारी एसईआईएए से ऐसे एसईआईएए अभिप्रेत है जो अपने कार्यकाल की समाप्ति के कारण, या अध्यक्ष या सदस्य की एक मास से अधिक की अनुपस्थिति के कारण, या किसी न्यायालय द्वारा एसईआईएए के कामकाज पर अधिरोपित रोक के कारण कार्य नहीं कर रहा है।

6. एस.सी.ई.ए.आई.ए, ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में प्रवर्ग 'ख' की परियोजनाओं के अंकन के लिए यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रक्रियाओं का पालन करेगा। एस.सी.ई.आई.ए., राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एस.ई.ए.सी.के कार्यों का निर्वहन करेगा, जब भी एस.ई.ए.सी. कार्यरत न हो, या जहां एस.ई.ए.सी.का गठन न हुआ हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे गए किसी अन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, जो छह मास तक के अन्य विस्तारण के अध्यधीन रहते हुए पहली बार में छह मास से अधिक नहीं होगा

**टिप्पण:** स्पष्टता के लिए, गैर-कार्यकारी एसईएसी से ऐसे एसईएसी अभिप्रेत है जो अपने कार्यकाल की समाप्ति के कारण या किसी न्यायालय द्वारा एसईएसी के कामकाज पर अधिरोपित रोक के कारण कार्य नहीं कर रहा है।

7. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, स्थायी प्राधिकरण और स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी, जो एस.ए.ई.आई.ए.और एस.सी.ई.आई.ए. के कानूनी कामकाज के संबंध में सभी संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत परिवहन, आवास और अन्य सभी सुविधाएं भी है, प्रदान करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जनशक्ति, संभार तंत्र और अन्य संसाधनों के रूप में आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-22/21/2025- आई.ए.III ]

रजत अग्रवाल,संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

**S.O. 3863(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 as amended (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Standing Authority on Environment Impact Assessment (SAEIA), for each State or Union territory.

2. The SAEIA shall comprise the following members, namely:—

(i) Chief Secretary or Advisor to the Administrator or Lt. Governor— Chairperson

(ii) Principal Chief Conservator of Forest (Head of Forest Force) – Member

(iii) Officer of the State or Union territory Government working as Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary in the Environment Department – Member Secretary

3. The Central Government constitutes the Standing Committee on Environment Impact Appraisal (SCEIA) to assist the SAEIA consisting of the following members, namely:—

(i) Administrative Secretary, Environment Department of State or Union territory – Chairperson

(ii) Chief Wildlife Warden – Member

(iii) Director General or Director, Health Services of the State - Member

(iv) Member Secretary, State Pollution Control Board or Union territory Pollution Control Committee - Member

(v) Domain Expert: Director or Principal of Indian Institute of Technology or National Institute of Technology located in the State or Union territory or their nominees as per requirement and in the absence of Indian Institute of Technology or National Institute of Technology in the State or Union territory, the domain Expert as may be nominated by Director, National Environmental Engineering Research Institute

(vi) Officer of the State or Union territory Government working as Special Secretary or Joint Secretary or Deputy Secretary in the Environment Department – Member Secretary

4. The Chairperson of the SCEIA may co-opt expert(s) or institutions of repute for assisting the SCEIA in any particular matter(s).

5. The SAEIA shall exercise such powers and follow the procedures as specified for Category 'B' Projects in the Environment Impact Assessment (EIA) Notification 2006. The SAEIA shall discharge the functions of State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at the State or Union territory level whenever the SEIAA is not functional, or where SEIAA has not been constituted or to discharge any other responsibility assigned to it by the Central Government from time to time, which shall not be more than six months in the first instance subject to another extension of up to six months.

**Note:** For the sake of clarity, non-functional SEIAA shall mean a SEIAA which is not functioning due to the expiry of its tenure or due to the absence of the Chairman or the Member for more than one month or due to a stay imposed on the functioning of the SEIAA by any court of law.

6. The SCEIA shall exercise such powers and follow the procedures as specified for appraisal of Category B Projects in the EIA Notification 2006. The SCEIA shall discharge the functions of SEAC at the State or Union territory level, whenever the SEAC(s) is not functional, or where SEAC(s) has not been constituted or to discharge any other responsibility assigned to it by the Central Government from time to time, which shall not be more than six months in the first instance subject to another extension of up to six months.

**Note:** For the sake of clarity, non-functional SEAC shall mean a SEAC which is not functioning due to the expiry of its tenure or due to a stay imposed on the functioning of the SEAC by any court of law.

7. The State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee shall act as a Secretariat for the Standing Authority and the Standing Committee, which shall provide all logistics support including transportation, accommodation, and such other facilities in respect of the statutory functioning of the SAEIA and SCEIA. Necessary support in this regard shall be provided by the State Government or Union territory Administration, in terms of manpower, logistics and other resources.

[F. No. IA3-22/21/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.14 19:37:08 +05'30'